मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 15 सन् 1990

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1990

विषय –सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य
6. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों में विभेद का प्रतिबेध
7. विश्वविद्यालय में अध्यापन
8. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष
9. विश्वविद्यालय के अधिकारी
10. कुलपति
11. कुलाधिसचिव
12. विभागाध्यक्ष
13. अन्य अधिकारी और कर्मचारी
14. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण
15. महा-परिषद्
16. अध्यक्ष और सचिव
17. महा-परिषद् के सदस्यों की पदावधि
18. महा-परिषद् की शक्तियां
19. महा-परिषद् का सम्मिलन

19क. गणपूर्ति

20. विशेष सम्मिलन बुलाने की अध्यक्ष की शक्ति
21. स्थगन
22. प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जायेगा

23. कार्यवृत्त-पुस्तक
24. महा-परिषद् की शक्तियां और कृत्य
25. महा-परिषद् द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति
26. विद्या परिषद्
27. विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य
28. विद्या परिषद के सम्मिलन की प्रक्रिया
29. प्रबंध समिति
30. प्रबंध समिति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य
31. प्रबंध समिति के सम्मिलनों की प्रक्रिया
32. वित्त समिति
33. चयन समिति
34. विश्वविद्यालय की निधियाँ
35. वार्षिक लेखा तथा संपरीक्षा
36. वित्तीय प्राक्कलन
37. संविदाओं का निष्पादन
38. विद्यार्थियों की प्रवेश के लिए पात्रता
39. छात्र निवास
40. मानद उपाधि
41. उपाधि या पत्रोपाधि का वापस लिया जाना
42. अनुशासन
43. प्रायोजित स्कीमें
44. विश्वविद्यालय को अनुदान
45. सम्पत्ति का अंतरण
46. विश्वविद्यालय की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी
47. कठिनाइयों का निराकरण
48. अस्थायी उपबन्ध
49. संरक्षण
50. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा
51. महा-परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 1990

*मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1990

(दिनांक 14 जुलाई 1990 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 16 जुलाई 1990 को प्रथम बार प्रकाशित की गई,)

*माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

***1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

#2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(एक) ''विद्या-परिषद'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद्,

(दो) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की महा-परिषद का अध्यक्ष,

(तीन) ''महापरिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की महा-परिषद्,

(चार) ''प्रबंध समिति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति,

(पाँच) ''सभापति'' से अभिप्रेत है ''प्रबंध समिति'' का सभापति,

(छह) ''कुलाधिसचिव'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव,

(सात) ''विनियम'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के विनियम,

(आठ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जो अंग्रेजी में ''माखनलाल चतुर्वेदी

---

* प्रोद्धरण (साइटेशन) वृहत नाम (लांग टाइटल) एवं धारा 1(1) का संशोधन मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम 2006 (क्र. 8 सन् 2006) द्वारा किया गया।

\# संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म ''एण्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा,

(नौ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रमुख।#

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

*3. (1) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें महापरिषद्, विद्या परिषद् और कुलपति होंगे।

(2) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चलाएगा और उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुलपति द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जाएंगे और ऐसे वादों में समस्त आदेशिकाएं ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भोपाल में होगा।*

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

*4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(एक) विश्वविद्यालय को हिन्दी पत्रकारिता पर विशेष फोकस के साथ पत्रकारिता, जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तथा सहबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना,

(दो) उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां संस्थित करना,

(तीन) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, गोलमेज, विचारगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करना,

(चार) उत्कृष्टता के साथ वृत्तिक विकास करना,

(पाँच) प्रकाशन निकालना, और

(छह) उपर वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना*

---

* संशोधन अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित- 1. मूल अधिनियम में 'संस्थान', 'महानिदेशक', 'कार्यपालक निदेशक' जहां-जहां आए हैं के स्थान पर 'विश्वविद्यालय' 'कुलपति', 'कुलाधिसचिव' शब्द संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा क्रमशः स्थापित किये गये।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य निम्नानुसार होंगे :

(एक) विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के ऐसे केंद्रों का प्रशासन तथा प्रबंध करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों,

[2](दो) ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने में उचित समझे, शिक्षण के लिये व्यवस्था करना और अनुसंधान तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसारण के लिये व्यवस्था करना,[2]

(तीन) निवेश बाह्य अध्यापन कार्य तथा विस्तारी सेवाएं आयोजित करना तथा उन्हें हाथ में लेना,

(चार) परीक्षाएं आयोजित करना और पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र प्रदान करना और व्यक्तियों को उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए प्रदान करना जैसी विश्वविद्यालय अवधारित करें और सम्मानिक उपाधि को छोड़कर किसी ऐसी पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियों को अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से वापस लेना,

(पांच) विनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानित उपाधियां या अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना,

(छह) फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना,

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये छात्रावास संस्थित करना तथा उनका अनुरक्षण करना और आवास स्थानों को मान्यता देना तथा किसी ऐसे स्थान या आवास को दी गई मान्यता वापस लेना,

(आठ) ऐसे विशेष केन्द्र, विशिष्ट अध्ययन केन्द्र या अनुसंधान तथा शिक्षण के लिये अन्य इकाइयां स्थापित करना जैसी कि विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो,

(नौ) विद्या संबंधी, तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पद सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना,

(दस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय

---

2 संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

करना जैसा कि विनियमों में अधिकथित रीति में आवश्यक समझा जाए,

(ग्यारह) आचार्य पद, सहआचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन, विद्या संबंधी या अनुसंधान संबंधी पद जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, संस्थित करना,

(बारह) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक के रूप में और अन्यथा अध्यापक और अनुसंधानकर्ता के रूप में नियुक्त करना,

(तेरह) अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप) छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित और प्रदान करना,

[3]''(चौदह) उन महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालया द्वारा नहीं चलाये जाते हैं अपने विशेषाधिकार देना, इन विशेषाधिकारों में से समस्त या कोई विशेषाधिकार वापस लेना और विनियमों द्वारा विहित रीति में तथा शर्तों के अधीन प्रबंध ग्रहण करना,[3]

(पन्द्रह) पत्रकारिता तथा जनसंचार के समस्त पहलुओं में अनुसंधान कार्य प्रायोजित करना तथा हाथ में लेना,

(सोलह) पत्रकारिता और जनसंचार में, ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि तय पाया जाए, ऐसे निबंधनों तथा शर्तो पर जैसा कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विषय में किसी अन्य संगठन से सहयोग करना,

(सत्रह) संसार के किसी भी भाग में ऐसी उच्चतर शिक्षण की संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य पूर्णत: या भागत: विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हों, अध्यापकों और विद्वानों का आदान प्रदान करके और सामान्यत: ऐसी रीति में जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, सहयोग करना,

(अठारह) विश्वविद्यालय के व्ययों को विनियमित करना और लेखाओं का प्रबंध करना,

(उन्नीस) ऐसे कक्षा कमरों, अध्ययन भवनों, कार्यालय और अतिथिगृहों को विश्वविद्यालय के परिसर में या अन्यत्र स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उन्हें पर्याप्त: सुसज्जित रखना और ऐसे पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना

---

[3] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

जो विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक प्रतीत हों,

(बीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए और उन उद्देश्यों से, जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, सुसंगत उद्देश्यों के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदाय, संदान और दान प्राप्त करना,

(इक्कीस) ऐसी कोई भूमि या भवन या संकर्म जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक है, और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जो कि वह ठीक और उचित समझे क्रय करना, पट्टे पर लेना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना,

(बाईस) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर, समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग के, ऐसे निबंधनों पर जैसा कि विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे विश्वविद्यालय के हित और कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विक्रय करना, विनिमय करना पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना,

(तेईस) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, भारत सरकार के वचनपत्र लिखना और प्रतिगृहीत करना, बनाना या उनका पृष्ठांकन करना और उनका मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना,

(चौबीस) विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सरकारी प्रतिभूतियां हैं, संबंध में हस्तांतरण पत्र, अन्तरण, पुनर्हस्तान्तरण पत्र, बंधक, पट्टे, अनुज्ञप्तियां और करार निष्पादित करना,

(पच्चीस) विश्वविद्यालय की कोई लिखत, निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारबार करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना,

(छब्बीस) विश्वविद्यालय की कोई कक्षाएं या उसके विभागों को समाप्त करना और बंद करना,

(सत्ताईस) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य प्राधिकरणों से अनुदान प्राप्त करने के लिए करार करना,

(अट्ठाईस) धन अनुदान, प्रतिभूतियां या किसी भी प्रकार की संपत्ति ऐसे निबंधनों पर जो समीचीन समझे जाएं, स्वीकार करना,

(उन्तीस) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं भी संपत्तियों और आस्तियों के आधार पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना और ऐसे निबंधनों और शर्तो पर, जो वह ठीक समझे, बंधपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर धन जुटाना या उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधियों में से वे समस्त व्यय चुकाना जो धन जुटाने से आनुषंगिक हैं तथा उधार लिए गए किसी धन का प्रतिदाय या मोचन करना,

(तीस) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन को ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति में जैसा कि वह ठीक समझे, विनिधान करना और ऐसे विनिधानों का समय-समय पर अन्तर्विनिमय करना,

(इकतीस) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबंध को विनियमित करने के लिए, ऐसे विनियम बनाना जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन करना उन्हें उपान्तरित करना और विखंडित करना,

(बत्तीस) विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारीवृन्द के फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, ऐसी पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान का गठन करना जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए ऐसे अनुदान देना जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द और विद्यार्थियों के फायदे के लिए प्रकल्पित संस्थाएं, निधियां, न्यास और प्रवहण के स्थापन और पोषण में सहायता देना,

[4](तैंतीस) अपनी समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलाधिसचिव को या अपने निकाय की किसी समिति या उपसमिति को या किसी एक या एक से अधिक सदस्यों को या अपने अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना, और[4]

(चौंतीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य और बातें करना जिन्हें विश्वविद्यालय पूर्वोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी उद्देश्य की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

---

[4] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों में विभेद का प्रतिषेध

6. विश्वविद्यालय इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश जाति, लिंग, जन्मस्थान, राजनैतिक या अन्य विचारों या उनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

7. (1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, पत्रोपाधियों और प्रमाणपत्रों के संबंधों में समस्त मान्य अध्यापन विद्यापरिषद् के नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों या अतिथि संकाय द्वारा विनियमों द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसे अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण ऐसे होंगे जो कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष

8. (1) भारत का उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष -

(एक) दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा,

(दो) को विश्वविद्यालय और उसके कार्यकलापों में से किसी भी कार्यकलाप का परिदर्शन और निरीक्षण करने का अधिकार होगा,

(तीन) किसी या समस्त कार्यकलापों पर कुलपति से रिपोर्ट मंगा सकेगा जो अध्यक्ष की मार्फत प्रस्तुत की जाएगी,

(चार) को अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय और उसके कार्यकलापों का निरीक्षण ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा करवाये जैसा कि वह निदेश दे और विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय में जाँच करवाये,

(पाँच) किसी प्रस्थापित निरीक्षण या जाँच और उसके परिणाम के संबंध में कुलपति को पत्र लिखेगा, कुलाध्यक्ष के विचारों और कुलाध्यक्ष के विचारों के अनुसरण में की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाइयां महापरिषद को संसूचित की जाएंगी,

(3) महापरिषद ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, जो वह ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के आधार पर लेना प्रस्थापित करती है या जो ऐसे परिणाम के आधार पर की गई है संसूचना कुलपति की मार्फत कुलाध्यक्ष को देगी।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

[5]**9.** विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे :-

(एक) कुलपति,

(दो) कुलाधिसचिव,

(तीन) विभागाध्यक्ष, और

(चार) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।[5]

कुलपति

10. [6](1) विश्वविद्यालय का कुंलपति महापरिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परंतु मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम 2006 (क्र 8 सन् 2006) के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पहले पदासीन 'महानिदेशक' उसकी नियुक्ति की अनवसित पदावधि के लिये पद पर बना रहेगा तथा 'कुलपति' के रूप में जाना जाएगा।[6]

(2) महापरिषद् के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंध और प्रशासन के संबंध में प्रबंध समिति की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो प्रबंध समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई है,

(3) कुलपति पत्रकारिता या जनसंचार की किसी भी शाखा में से वृत्तिक व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का बीस वर्ष से अधिक का अनुभव हो।

(4) कुलपति -

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जा रहा है और उसे उस प्रयोजन के लिए शक्तियाँ होंगी जो आवश्यक हों,

(ख) महापरिषद् के सम्मिलन बुलाएगा और ऐसे समस्त अन्य कार्य करेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों,

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों को सत्यापित करेगा या इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करेगा,

---

[5] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

[6] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा धारा 10 (1) स्थापित।

(घ) विश्वविद्यालय में उचित रूप से अनुशासन बनाए रखने संबंधी समस्त शक्तियाँ रखेगा।

(5) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित है, तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझता है, और उसके पश्चात् यथाशीघ्र सर्वप्रथम अवसर पर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकरण, समिति या अन्य निकाय को देगा जिसने सामान्य अनुक्रम में उस विषय में कार्रवाई की होती :

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई विश्वविद्यालय को छह मास से अधिक की कालावधि के लिए किसी आवर्ती व्यय के लिये प्रतिबद्ध नहीं करेगी और यह भी कि कुलपति प्रबंध समिति की मंजूरी के बिना कोई पद सृजित नहीं करेगा या कोई नियुक्ति नहीं करेगा :

परन्तु यह और भी कि जहां कुलपति द्वारा की गई किसी ऐसी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा के किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको ऐसी कार्रवाई उसे संसूचित की गई है, तीस दिन के भीतर महा-परिषद् को अपील करने का हकदार होगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि संबंधित प्राधिकरण, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन नहीं करता है तो वह उस मामले को अध्यक्ष को निर्देशित करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) कुलपति द्वारा उपधारा (5) के अधीन की गई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह कार्रवाई समुचित प्राधिकरण द्वारा की गई है जब तक कि उसे उपधारा (6) के अधीन किए गए निर्देश पर अध्यक्ष द्वारा अपास्त नहीं कर दिया जाता या उपधारा (5) के अधीन अपील में महा-परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दिया जाता।

(8) कुलपति -

(एक) कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों और अध्ययन दौरों में कर्मचारिबृन्द और विद्यार्थियों की भागीदारी के संबंध में विनिश्चय करेगा,

(दो) अधिकारी से स्तर संवर्गो में महा-परिषद द्वारा विहित रीति में नियुक्तियां करेगा,

(तीन) विश्वविद्यालय के अपने अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति रखेगा,

(चार) शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रखेगा,

(पाँच) विश्वविद्यालय में विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं, अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के किए जाने को अंतिम रूप देगा।

(9) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(10) कुलपति विद्या परिषद का संयोजक होगा और उसके सम्मिलन बुलाएगा और विद्या परिषद् के समस्त अभिलेख बनाए रखेगा।

(11) कुलपति विद्या परिषद् के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कुलाधिसचिव

[7]**11.** (1) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव, कुलपति के परामर्श के पश्चात् महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पहले पदासीन कार्यपालक निदेशक, अपनी नियुक्ति की अनवसित पदावधि के लिए पद पर बना रहेगा तथा ''कुलाधिसचिव'' के रूप में जाना जाएगा।

(2) कुलाधिसचिव, कुलपति की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसाकि कुलपति उसे प्रत्यायोजित करे।

(3) कुलाधिसचिव, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे प्रशासन के क्षेत्र में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो।

(4) कुलाधिसचिव, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन और वित्तीय प्रशासन का प्रमुख होगा।[7]

विभागाध्यक्ष

12. (1) विश्वविद्यालय में विभागों में से प्रत्येक के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा।

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, उनके कृत्य, उनकी नियुक्ति की रीति और सेवा शर्ते ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

---

[7] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

अन्य अधिकारी और कर्मचारी

13. (1) इस प्रयोजन के लिये बनाए गए विनियमों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जिसमें विनियमों द्वारा यथा विहित सेवा की शर्तें दी जाएगी और जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएंगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी के बीच हुई संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर अधिकरण को माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिसमें विनियमों द्वारा यथा विहित महा-परिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्य होंगे अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और बंधनकारी होगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

[8]**14.** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :-

(एक) महा-परिषद्,

(दो) विद्या-परिषद्,

(तीन) प्रबंध समिति,

(चार) वित्त समिति,

(पाँच) कुलपति,

(छह) कुलाधिसचिव, और

(सात) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।[8]

महा-परिषद्

15. 1. महा-परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थातः-

(एक) मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश,

(दो) भारसाधक मंत्री, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार,

(तीन) भारसाधक मंत्री, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश सरकार,

(चार) भारसाधक मंत्री, शिक्षा, मध्यप्रदेश सरकार,

(पाँच) मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष का नेता,

(छह) एक संसद सदस्य, जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा,

(सात) राज्य सभा का एक सदस्य, जो राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,

---

[8] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

(आठ) अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद्,

(नौ) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चयनित पांच राज्यों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि, जो उनके अपने-अपने राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,

(दस) एडीटर्स गिल्ड का एक नाम निर्देशिती जो भारतीय भाषा प्रेस का हो,

(ग्यारह) एक ख्यात जनसंचार विशेषज्ञ, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,

(बारह) पत्रकारिता का एक ख्यात अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,

(तेरह) पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी ऑफ इन्डिया का एक नामनिर्देशिती,

(चौदह) [9]प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश शासन,

(पन्द्रह) अध्यक्ष, भारतीय जनसंचार संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्यूनिकेशन) या उसका नाम निर्देशिती,

(सोलह) मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशिती,

[10](सत्रह) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायगा,

(सत्रह-क) विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का एक आचार्य, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नाम निर्देशित किया जायेगा,[10]

[10](अठारह) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नाम निर्देशिती,

(उन्नीस) विश्वविद्यालय का कुलपति,[10]

(बीस) भारत में सर्वाधिक परिचालित भारतीय भाषा के समाचार पत्र का संपादक,

(इक्कीस) भारत में सर्वाधिक परिचालित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र का संपादक,

[10](बाईस) प्रमुख सचिव वित्त, मध्यप्रदेश शासन,[10]

(तेईस) मध्यप्रदेश के एक हिन्दी दैनिक का संपादक,

[10](चौबीस) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव,[10]

(पच्चीस) भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का एक नामनिर्देशिती, जो भारतीय भाषा प्रेस का होगा,

---

[9] ''सचिव'' के स्थान पर ''प्रमुख सचिव'' संशो. अधि. क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित

[10] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

(छब्बीस) मध्यप्रदेश से संबद्घ दो प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,

(सत्ताईस) भारतीय भाषा प्रेस से पांच संपादक, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि एक भाषा के लिए एक से अधिक संपादक नहीं होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,

(अट्ठाईस) पांच विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक के ख्यात हिन्दी दैनिक का एक संपादक जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,

(उन्तीस) मध्यप्रदेश के किसी एक विश्वविद्यालय का कुलपति, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

(2) महा-परिषद् विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा

(3) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय महा-परिषद् में निहित होगी, जो विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी।

अध्यक्ष और सचिव

16. (1) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय की महा-परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(2) विश्वविद्यालय का कुलपति, महा-परिषद् का सचिव होगा।

महा-परिषद् के सदस्यों की पदावधि

17. (1) महा-परिषद् के सदस्यों की पदावधि उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, चार वर्ष होगी

(2) जहां महा-परिषद् का कोई सदस्य पद या नियुक्ति, जो वह धारण करता है, के कारण ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्देशित सदस्य है वहाँ उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जब कि वह यथास्थिति, ऐसा पद धारण करने से या नियुक्ति से प्रवरित हो जाता है या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाता है।

(3) महा-परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा जब कि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी दांडिक अपराध का सिद्घदोष ठहराया जाता है या [11]यदि कुलपति और कुलाधिसचिव से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर

[11] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

लेता है[11] या यदि वह सभापति की अनुमति के बिना महा-परिषद के लगातार दो सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है।

(4) महा-परिषद् का सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पदत्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा।

(5) महा-परिषद् में की कोई रिक्ति, की पूर्ति किसी व्यक्ति की यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा, उस संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो ऐसा करने के लिए हकदार है और इस प्रकार नियुक्त या नाम निर्देशित व्यक्ति केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है उस दशा में पद धारण किए रहता जब कि वह रिक्ति नहीं हुई होती।

महा–परिषद् की शक्तियां

18. (1) महा-परिषद् को विश्वविद्यालय के प्रशासन या प्रबंध के लिए या उसके कार्यकलापों के संचालन के लिए, जिसके अन्तर्गत अन्य समितियों की कार्रवाई के पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, आवश्यक समस्त शक्तियां होंगी, और वह विश्वविद्यालय की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं है।

(2) उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महा-परिषद् –

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाएगी,

(ख) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करेगी तथा संकल्प पारित करेगी, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जिन्हें वह विश्वविद्यालय के अधिक अच्छे कार्यकरण तथा प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

महा–परिषद् का सम्मिलन

19. (1) महा-परिषद् वर्ष में कम से कम [12]एक बार अपना सम्मिलन करेगी महा-परिषद् का वार्षिक सम्मिलन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाए।

---

[12] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा शब्द 'दो बार' के स्थान पर शब्द 'एक बार' स्थापित किये गये।

(2) अध्यक्ष सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, परिषद् अध्यक्षता करने के लिए अपने सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करेगी।

(3) पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट, और साथ ही प्राप्तियों और खर्चे के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलन-पत्र तथा वित्तीय आंकलन कुलपति द्वारा महापरिषद् को उसके वार्षिक सम्मिलन के समय प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) महापरिषद् का सम्मिलन या तो साधारण या विशेष होगा।

(5) प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नियत की जाएगी।

(6) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना, उसके समय और स्थान तथा उसमें संपादित किए जाने वाले कामकाज को विनिर्दिष्ट करते हुए, प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी और साधारण सम्मिलन के पूरे 15 दिन पूर्व और विशेष सम्मिलन के पूरे 7 दिन पूर्व विश्वविद्यालय के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी :

परन्तु यदि सूचना, विश्वविद्यालय के कार्यालय पर प्रदर्शित की गई है तो किसी सदस्य पर उसकी तामील न होना किसी सम्मिलन की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

(7) सम्मिलन में, उससे संबंधित सूचना में विनिर्दिष्ट से भिन्न कोई भी अन्य कामकाज सम्पादित नहीं किया जाएगा।

गणपूर्ति [13]**19-क** महापरिषद् के सम्मिलन के लिए गणपूर्ति, उक्त परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और यदि सम्मिलन में गणपूर्ति नहीं होती है, तो पीठासीन अधिकारी सम्मिलन को ऐसी तारीख और समय तक के लिए स्थगित करेगा, जैसा कि उसके द्वारा नियत किया जाए :

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी तथा ऐसे स्थगित सम्मिलन में विचार हेतु कोई नया विषय नहीं लाया जाएगा।[13]

विशेष सम्मिलन बुलाने की अध्यक्ष की शक्ति **20.** अध्यक्ष अथवा यथापूर्वोक्त किसी दशा में कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, विशेष सम्मिलन बुला सकेगा और महापरिषद् के कम से कम 15 सदस्यों से लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने

[13] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा नई धारा जोड़ी गई।

के दो सप्ताह के भीतर वह वैसा करने के लिए बाध्य होगा।

स्थगन **21.** महापरिषद् का कोई भी सम्मिलन, उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से किसी अन्य तारीख तक के लिए स्थगित किया जा सकेगा, किन्तु उस कामकाज से, जो स्थगित सम्मिलन में छोड़ दिया गया था, भिन्न कोई अन्य कामकाज आगामी सम्मिलन में सम्पादित नहीं किया जाएगा

विश्वविद्यालय के कार्यालय में उस दिन, जिसको सम्मिलन स्थगित किया गया है, लगाई गई ऐसे स्थगन की सूचना होने वाले आगामी सम्मिलन की पर्याप्त सूचना समझी जाएगी।

प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जायेगा **22.** प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किए गए महापरिषद् के किसी सम्मिलन के समक्ष लाए गए सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में सम्मिलन के पीठासीन प्राधिकारी का निर्णायक मत होगा।

कार्यवृत्त–पुस्तक **23.** (1) महापरिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों का अभिलेखन और उसमें उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तक में प्रविष्ट किए जाएंगे और उनका पुष्टिकरण उसी या होने वाले ठीक आगामी सम्मिलन में उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(2) महापरिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को सम्मिलन से सात दिनों के भीतर अग्रेषित की जाएगी।

(3) इस धारा द्वारा विहित कार्यवृत्त पुस्तक विश्वविद्यालय के कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी सदस्य द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

महा–परिषद् की शक्तियां और कृत्य **24.** धारा 18 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महापरिषद् की शक्तियां और कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-

[14](एक) विश्वविद्यालय के कुलपति तथा विभागाध्यक्षों की समय-समय पर नियुक्ति करना,[14]

(दो) आचार्य, सहायक/सह आचार्य और अध्यापक वृन्द के अन्य सदस्यों, तथा साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द को,

---

[14] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

जो आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त करना :

परन्तु महापरिषद् द्वारा, द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, अध्यापकों की संख्या, उनकी अर्हताएं और उपलब्धियों के संबंध में कोई कार्रवाई विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और भी कि निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु किसी चयन समिति का गठन करना आवश्यक नहीं होगा :-

(क) कोई अधिसंख्य पद (सुपर न्यूमरेरी पोस्ट), या

(ख) आचार्य का ऐसा पद, जिसे स्वीकार करने हेतु महापरिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी उच्च शैक्षणिक विशिष्टता, ख्याति तथा वृत्तिक योग्यता के कारण आमंत्रित किया गया है,

(तीन) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्ध्यां अवधारित करना, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता विनिर्दिष्ट करना और अधिकारी संवर्ग के पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तो पर करना जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं या नियुक्ति की शक्तियों का प्रत्यायोजन ऐसे प्राधिकरण या प्राधिकरणों या अधिकारी या अधिकारियों को करना जैसा वह ठीक समझे,

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, विनिधान, उसकी सम्पत्ति, उसका कामकाज, तथा उसके समस्त अन्य प्रशासनिक क्रियाकलापों का प्रबंध और विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जैसा वह ठीक समझे,

(पांच) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी धनों का, जिनमें अनुपयोजित आय सम्मिलित है, ऐसे स्टाक, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में, जैसा वह समय-समय पर ठीक समझे, या भारत में किसी स्थावर सम्पत्ति के क्रय में निविधान करना, ऐसे विनिधानों में समय-समय पर फेरफार करने की तत्सम शक्ति के साथ,

(छह) राज्य सरकार की अनुज्ञा से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का विश्वविद्यालय की ओर से अन्तरित करना या उनके अन्तरणों को प्रतिगृहीत करना,

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका निष्पादन करना या उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना जैसा वह ठीक समझे,

(आठ) विश्वविद्यालय का कामकाज चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, उपस्करों तथा सांधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना,

(नौ) विश्वविद्यालय के उन अधिकारियों और अध्यापकों की जो, कोर्ट के किसी कार्य से व्यथित न होकर अन्यथा किसी कारण से व्यथित हैं, शिकायतों को ग्रहण करना, न्याय-निर्णित करना और यदि वह उचित समझे तो ऐसी किन्हीं शिकायतों को दूर करना,

(दस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का अनुपालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

महा-परिषद् द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

25. (1) इस अधिनियम तथा इस निमित्त उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए महा-परिषद्, संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शक्तियों सहित कर सकेगी जैसा महा-परिषद्, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के बारे में जाँच करने, रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिए ठीक समझे ।

(2) महा-परिषद्, किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति में ऐसे व्यक्तियों का सहयोजन कर सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे और उन्हें महा-परिषद्, के सम्मिलनों में उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकेगी।

विद्या परिषद्

26. (1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय होगा और वह इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा का स्तरमान बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा

वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं उसे महा-परिषद्, को शिक्षा संबंधी सभी विषयों पर सलाह देने का अधिकार होगा।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति जो उसका संयोजक होगा,

(ख) ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों या विख्यात व्यक्तियों या विद्वतवृत्ति के सदस्यों या जनता में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों जिनका कि नामनिर्देशन सभापति द्वारा महापरिषद् के परामर्श से किया जाएगा,

(ग) संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश सरकार,

(घ) महा-परिषद्, में, का एडिटर्स गिल्ड का एक नामनिर्देशिती,

(ङ) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष,

(च) विभागाध्यक्षों से भिन्न सभी आचार्य, यदि कोई हैं,

(छ) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव,

(ज) किसी सुविख्यात हिन्दी दैनिक का एक संपादक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा,

(झ) पत्रकारिता का एक अध्यापक जो महा-परिषद्, का सदस्य हो, और

(ञ) मध्यप्रदेश का एक जनसंचार विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की अवधि पांच वर्ष होगी।

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य

27. इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विद्या परिषद् को उन सभी शक्तियों के अतिरिक्त, जो उसमें निहित हैं, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(एक) महा-परिषद् द्वारा उस को निर्देशित या प्रत्योजित किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना,

(दो) अध्यापन पदो ंके सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण के संबंध में तथा उनके कर्तव्यों और उनकी

उपलब्धियों के बारे में महा-परिषद्, को सिफारिशें करना,

(तीन) संकायों के गठन के लिए योजनाओं को बनाना तथा उन्हें उपांतरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना तथा महा-परिषद्, को, किसी संकाय को समाप्त करने या किसी संकाय का उप विभाजन करने या किसी एक संकाय का अन्य संकाय में संयोजन करने की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट भी देना,

(चार) विश्वविद्यालय में अनुसंधान का संप्रवर्तन करना तथा समय-समय पर ऐसे अनुसंधान के बारे में रिपोर्ट की अपेक्षा करना,

(पांच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना,

(छह) विश्वविद्यालय में भर्ती किए गए व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए विनियमों द्वारा इंतजाम करना,

(सात) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियां नियुक्त करना,

(आठ) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं की उपाधियों और पत्रोपाधियों को मान्यता देना तथा विश्वविद्यालय की उपाधियों और पत्रोपाधियों के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना,

(नौ) महा-परिषद्, द्वारा स्वीकृत किसी शर्त के अध्यधीन रहते हुए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता का समय, उसका ढंग तथा उसकी शर्तें नियत करना,

(दस) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाए जाने और उनकी फीस, उपलब्धियां और यात्रा तथा अन्य खर्चों को नियत करने के विषय में महा-परिषद्, को सिफारिशें करना,

(ग्यारह) परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना तथा उनको कराने के लिए तारीखें नियत करना,

(बारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों को घोषित करना, या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना, और उपाधियां, सम्मानक पत्रोपाधियां, टाईटल और सम्मान-प्रतीक प्रदान करने के विषय में सिफारिशें करना,

(तेरह) वृत्तिकाओं, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को देना तथा

विनियमों और ऐसी अन्य शर्तो के अनुसार, जो पुरस्कारों से सम्बद्घ हों, अन्य पुरस्कार देना,

(चौदह) विहित या सिफारिश की गई पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना, और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना,

(पंद्रह) ऐसे प्ररूप और रजिस्टर तैयार करना जो समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, और

(सोलह) शैक्षिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का अनुपालन करना तथा ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।

विद्या परिषद् के सम्मिलन की प्रक्रिया

28. (1) विद्या परिषद् किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार, जैसा भी आवश्यक हो, किन्तु कम से कम [15]दो बार अपना सम्मिलन करेगी।

[16](2) विद्यापरिषद के किसी सम्मिलन के लिए गणपूर्ति उक्त परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और अपेक्षित गणपूर्ति के अभाव में, उक्त परिषद् के सम्मिलन को उसी स्थान पर उसी कार्य सूची (एजेन्डा) सहित मिलने हेतु आधे घंटे के लिये स्थगित किया जाएगा :

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।[16]

(3) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किए गए विद्यापरिषद् के किसी सम्मिलन के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी का निर्णायक मत होगा।

(4) विद्यापरिषद् की प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता संयोजक द्वारा की जाएगी या उसकी अनुपस्थिति में ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए सम्मिलन द्वारा चुना जाए।

---

[15] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा ''शब्द ''छह बार'' के स्थान पर शब्द ''दो बार'' स्थापित।

[16] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

(5) यदि विद्यापरिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है तो विद्या परिषद् का संयोजक, कुलाधिसचिव को सम्मिलित करते हुए कम से कम पांच सदस्यों को कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का सम्पादन किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा क़ागज पत्र विद्या परिषद् की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

प्रबंध समिति **29.** एक प्रबंध समिति होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

(एक) मध्यप्रदेश का मुख्य मंत्री समिति का सभापति होगा,

(दो) भारसाधक मंत्री, वित्त, मध्यप्रदेश सरकार,

[17](तीन) विश्वविद्यालय का कुलपति,[17]

(चार) सचिव, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश सरकार,

[17](पांच) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव, तथा[17]

(छह) महा-परिषद् के तीन सदस्य, जो महा-परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे।

प्रबंध समिति की शक्तियां तथा कृत्य [18]**30.** (1) प्रबंध समिति, प्रशासनिक नीति संबंधी मामलों पर उस सीमा तक विचार करेगी और निर्णय लेगी, जिस सीमा तक वे उसे महापरिषद् द्वारा प्रत्यायोजित किए गए हों।

(2) प्रबंध समिति अपनी शक्तियां किसी उप-समिति या कुलपति को उस सीमा तक प्रत्यायोजित कर सकेगी, जिस सीमा तक वह ऐसा करना विनिश्चित करें।[18]

प्रबंध समिति के सम्मिलनों की प्रक्रिया **31.** [19](1) प्रबंध समिति का सम्मिलन कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा किन्तु वह छः माह में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी।[19]

(2) प्रबंध समिति के सदस्य की पदावधि, महा-परिषद् में उसकी अवधि के समान होगी।

(3) प्रबंध समिति के सभी विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे।

(4) सभापति की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति के किसी सम्मिलन की अध्यक्षता समिति द्वारा निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

---

[17] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

[18] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

[19] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

(5) समिति का सम्मिलन बुलाने के लिए कुलपति सात दिन की सूचना देगा

[20](5 क) प्रबंध समिति के सम्मिलन की गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और अपेक्षित गणपूर्ति के अभाव में, उक्त समिति के सम्मिलन को उसी स्थान पर, उसी कार्य सूची (एजेन्डा) सहित मिलने हेतु आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाएगा :

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।[20]

वित्त समिति **32.** (1) महा-परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिलकर एक वित्त समिति गठित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति,

(ख) कुलाधिसचिव,

(ग) सचिव, मध्यप्रदेश सरकार, जनसंपर्क विभाग या उपसचिव से अनिम्न पद श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती,

(घ) महा-परिषद् के दो सदस्य, जो महा-परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,

(ङ) सचिव, मध्यप्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उपसचिव से अनिम्न पद श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती,

(2) वित्त समिति के सदस्य पदेन होंगे

(3) वित्त समिति के कृत्य तथा कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण तथा संवीक्षा करना तथा महा-परिषद् को वित्तीय मामलों पर सिफारिश करना,

(दो) कालिक लेखाओं के विवरण पर विचार करना तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय के वित्त का पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोग विवरण तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और महा-परिषद् को सिफारिशें करना,

(तीन) महा-परिषद् को, विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर या तो स्वयं की पहल पर या महा-परिषद् या कुलपति के निर्देश पर, अपने विचार तथा सिफारिशें देना।

(4) वित्त समिति का सम्मिलन वर्ष में कम से कम [21]एक बार

---

[20] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा नई-उपधारा जोड़ी गई।

[21] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा शब्द ''चार बार'' के स्थान पर शब्द ''एक बार'' स्थापित।

होगा .वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) सदस्यों की बीच मत भिन्नता होने की दशा में, उपस्थित सदस्यों के बहुमत का मत अभिभावी होगा।

चयन समिति **33.** (1) महा-परिषद्, आचार्यो, सह-आचार्यो, अध्यापकों तथा अधिकारी स्तर के अन्य कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति के लिये महा-परिषद् को सिफारिश करने हेतु चयन समितियों का गठन करेगी।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

[22](क) कुलपति, जो समिति का संयोजक होगा।

(ख) मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय का कुलपति जो महा-परिषद्, का एक सदस्य होगा।[22]

(ग) महा-परिषद्, में एडिटर्स गिल्ड का प्रतिनिधि।

(घ) संबंधित विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, परन्तु यह तब जब कि वह उस पद के स्तर से, जिसके लिए चयन किया जाना है, कम स्तर का पद धारण न करता हो।

(ङ) आचार्यो, सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यो के चयन के लिये दो विशेषज्ञ, जो विद्या परिषद् द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे।

(च) सचिव, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश सरकार।

(3) चयन समिति का सम्मिलन, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा, बुलाया जाएगा चयन समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी।

विश्वविद्यालय की निधियां **34.** (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-

(क) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या अनुदान,

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या अनुदान,

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया कोई अभिदाय,।

(घ) प्राइवेट व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा की गई कोई वसीयत, किया गया दान, विन्यास या अन्य अनुदान,

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय, और

---

[22] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

(च) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकम।

(2) उक्त निधि का धन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा या उसका विनिधान ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाएगा जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा प्राधिकृत की गई है, जैसा भी महापरिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त निधि की संक्रिया कुलपति द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा उस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसी रीति में संचालित की जाएगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

वार्षिक लेखा तथा संपरीक्षा **35.** (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे महा-परिषद् के निदेश के अधीन तैयार किए जाएंगे।

(2) महा-परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी।

(3) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि उसके द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदानों की संपरीक्षा की जाए।

[23](4) संपरीक्षित लेखाओं की प्रति के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट महापरिषद् के सम्मिलन में रखी जायेगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी तथा इसके पश्चात् इसे प्रकाशित किया जायेगा।[23]

(5) महा-परिषद् द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में वार्षिक लेखाओं पर विचार किया जाएगा और उन्हें पारित किया जायेगा।

वित्तीय प्राक्कलन **36.** (1) महा-परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के वित्तीय प्राक्कलनों का अनुमोदन करेगी ।

(2) कुलपति, ऐसे मामले में जहां बजट में उपबंधित रकम से अधिक रकम का व्यय उपगत किया जाना हो या अत्यावश्यकता के मामलों में, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, विनियमों में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए व्यय उपगत कर सकेगा ज़हां बजट में किसी ऐसे अधिक व्यय के लिये कोई उपबंध न किया गया हो, वहां महा-

[23] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) कुलपति द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट महा-परिषद् के अनुमोदन हेतु उसके वार्षिक सम्मिलन में प्रस्तुत की जाएगी।

(4) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी रिपोर्ट, राज्य सरकार द्वारा, उसके प्राप्त होने के यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

संविदाओं का निष्पादन

[24]**37.** विश्वविद्यालय के प्रबंध तथा प्रशासन से संबंधित सभी संविदायें महापरिषद् द्वारा की गई कही जाएंगी और उनका निष्पादन कुलपति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।[24]

विद्यार्थियों की प्रवेश के लिये पात्रता

38. कोई विद्यार्थी किसी उपाधि या पत्रोपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास ऐसी अर्हताएं न हों जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

छात्र निवास

39. विश्वविद्यालय, उसके द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों, भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये पृथक्-पृथक् छात्रावास बनाए रखेगा।

मानद उपाधि

40. यदि विद्या परिषद् के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्यों ने यह सिफारिश की है कि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाए कि वह, उनकी राय में, उसकी उत्कृष्ट योग्यता और स्थिति के कारण ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि पाने के लिये उपयुक्त और उचित व्यक्ति है तो महा-परिषद्, संकल्प द्वारा, यह विनिश्चित कर सकेगी कि वह इस प्रकार अनुशंसित व्यक्ति को प्रदान की जाए।

उपाधि या पत्रोपाधि का वापस लिया जाना

41. (1) महा-परिषद्, किसी व्यक्ति को दी गई मानद उपाधि से भिन्न विद्या संबंधी कोई विशिष्टता, उपाधि, पत्रोपाधि या विशेषाधिकार सम्मिलन में उपस्थित तथा मत देने वाले महा-परिषद् के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा वापस ले सकेगी, यदि ऐसा व्यक्ति किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें महा-परिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है या यदि वह घोर अवचार का दोषी है ।

---

[24] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

(2) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्घ कोई कार्रवाई जब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे किए जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्घ कारण दर्शित करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) महा-परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जाएगी।

(4) ऐसे मामलों मे महा-परिषद् का विनिश्चय अंतिम होगा

अनुशासन **42.** (1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अंतिम प्राधिकारी कुलपति होगा उसके उस निमित्त दिये गए निदेशों का कार्यान्वयन कुलाधिसचिव तथा विभागाध्यक्ष, छात्रावासों और संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा किया जाएगा।

(2) उपखण्ड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विद्यार्थी को परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने का दण्ड, विद्या परिषद् का, जो अंतिम प्राधिकरण होगा, आगामी सम्मिलन होने तक अनंतिम रहेगा :

परन्तु ऐसा कोई दण्ड, संबंधित विद्यार्थी को उसके विरूद्घ किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्घ कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

प्रायोजित स्कीमें **43.** जब कभी संस्थान को किसी सरकार, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग या अन्य अभिकरणों से, जो संस्थान द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए कोई स्कीम प्रायोजित करते हैं, कोई धन प्राप्त होता है तब इस अधिनियम तथा विनियमों में किसी बात के होते हुए भी -

(क) प्राप्त रकम संस्थान द्वारा संस्थान निधि से पृथक् रखी जाएगी और उसका उपयोग केवल स्कीम के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, और

(ख) स्कीम के निष्पादन के लिए अपेक्षित कर्मचारीवृन्द की भरती प्रायोजक संगठन द्वारा नियत किए गए निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार की जाएगी।

विश्वविद्यालय को अनुदान **44.** [25]राज्य सरकार विश्वविद्यालय को अनुदान देगी और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अन्य राज्य सरकारों से, भारत सरकार से, तथा अन्य संस्थाओं से विशिष्ट या सामान्य अनुदान प्राप्त कर सकेगी।[25]

सम्मत्ति का अंतरण **45.** राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग तथा प्रबंध किए जाने के लिए विश्वविद्यालय को भवनों, भूमियों या अन्य संपत्ति का, चाहे वह स्थावर हो या जंगम, अन्तरण ऐसी शर्तो पर तथा ऐसी परिसीमाओं के अध्यधीन कर सकेगी जो राज्य सरकार ठीक समझे।

विश्वविद्यालय की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी। **46.** विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि :-

(क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है,या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या

(ग) उसकी प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो।

कठिनाइयों का निराकरण **47.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उसे दूर कर सकेगी :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

अस्थायी उपबंध **48.** इस अधिनियम तथा विनियमों में किसी बात के होते हुए भी

---

[25] संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 2006 द्वारा स्थापित।

कुलपति, सभापति के पूर्व अनुमोदन से तथा निधियों की उपलभ्यता के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम तथा विनियमों के अधीन के सभी या उनमें से किसी कृत्य का निर्वहन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिये ऐसी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या पालन इस अधिनियम और विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, प्रयोग या पालन उस समय तक कर सकेगा जब तक कि इस अधिनियम और विनियमों द्वारा उपबंधित किए गए अनुसार ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं आ जाता।

संरक्षण **49.** विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और किसी नुकसानी का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा **50.** इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावशील किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

महा-परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति **51.** महा-परिषद् उन सभी बातों के संबंध में, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम से असंगत न होने वाले विनियम बना सकेगी :

परन्तु महा-परिषद् ऐसे कोई विनियम, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करते हों, तब तक नहीं बनाएगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में अपनी लिखित राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर महा-परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) प्रभावशील था जिसके अधीन विश्वविद्यालय स्थापित है कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण इसके नाम में परिवर्तन करने तथा अन्य धाराओं में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार म.प्र. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006) द्वारा मूल अधिनियम को संशोधित किया गया। अब वर्तमान में मूल अधिनियम का नाम **''म.प्र. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम 1990''** है तथा विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम **''म.प्र. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय''** है।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2006 के सभी संशोधन सम्मिलित कर मूल अधिनियम की प्रति हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार की गई है। मुद्रण में यथा संभव सर्वाधिक सावधानी बरती गई है। उसके बावजूद भूलवश इसमें त्रुटियां हो सकती हैं यदि कोई त्रुटि या भिन्नता विश्वविद्यालय के ध्यान में लाई जाती है तो हम आभारी रहेंगे।

यह पुस्तक विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित संस्थाओं के मार्गदर्शन, संदर्भ एवं उपयोग के लिये हैं।

दिनांक 1 जनवरी 2008

अच्युतानंद मिश्र
कुलपति
म.प्र. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल